

तारीख  
हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

28/3/22

पत्रावली का पेश हुई है। पत्र के वकील  
हस्ताक्षरित। वकील के द्वारा जवाब देकर  
फिर जवाब चार्ज है। हुक्म सि जज  
पत्रावली दिनांक 29/04/22 का पेश है।

(901)

हायक कलेक्टर, मुंबायाबादी

29/4/22

पत्रावली पेश हुई।  
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों  
में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर  
पत्रावली आइन्दा 18/6/22 को पेश हो।

13/6/22

पत्रावली पेश हुई।  
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों  
में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर  
पत्रावली आइन्दा 25/7/22 को पेश हो।

25/07/22

पत्रावली का पेश हुआ है। एडवोकेट व  
एडवोकेट के वकील कन्सुलिटेशन। एडवोकेट  
व एडवोकेट के वकील को कोई समझ में  
नहीं आती - तीन मासों में जिला में  
बावजूद जिला के इन्सपेक्टर  
है। अतः 25/08/2019 दिनांक  
निवेदन दि 19.08.2019 दिनांक से  
जाकर एडवोकेट एडवोकेट एडवोकेट  
की उक्त एडवोकेट व एडवोकेट एडवोकेट  
दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक  
दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक

(901)

हायक कलेक्टर, मुंबायाबादी



सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) महोदय,  
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

प्रार्थीगण :-

1. खीयाराम पुत्र भभूता उम्र 57 वर्ष
2. मोहनलाल पुत्र भभूता उम्र 46 वर्ष
3. गुली पत्नी भभूता उम्र 38 वर्ष जाति विश्नोई निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. हापू वल्द आदु उम्र 90 वर्ष जाति विश्नोई निवासी पनावली ग्राम पंचायत बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0 का0 अधि0 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी पी सी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने।

महोदयजी,

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र निम्नानुसार हैं :-

कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।

2. कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 202, 203, 216/1, 217/1 रकबा क्रमशः 11-14, 1-00, 22-04, 13-01 बीघा कुल रकबा 47-19 बीघा किस्म बारानी सोयम, चा. चार., चा. चार, बारानी दोयम का ग्राम बेरीगांव पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है।

(अधिकृत कारीगण)

24/12/17